

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2023(108 / 2014, 88 / 2020 नवीन) ::

वास्ते संशोधित आदेश उनवान घीसा बनाम रामस्वरूप

1. घीसा पुत्र लादू जाति रेगर उम्र 65 साल निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान। प्रार्थी।

बनाम,

1. रामस्वरूप वल्द तेजू कौम माली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर
2. नन्दराम पुत्र सूजा
3. सुगन लाल पुत्र सूजा
4. मंगलचन्द पुत्र सुजा सर्व जाति माली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई अजमेर राजस्थान

—अप्रार्थीगण।

संशोधित निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संशोधित निर्णय दिनांक 14/11/2024.....

प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 251 (क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई, बाद तामिली प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र आचार्य उप. हुये। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे व काश्त की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अराई पटवार हल्का अराई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम है। यह है कि प्रार्थी की आराजी पर जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है समीप में खसरा संख्या 3003 द्वारा जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 01 के आराजी के खसरा संख्या 3003 के पूर्वी सीमा एवं नाले से समीप होकर खसरा नम्बर 3004/अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की कृषि आराजी की पूर्वी सीमा एवं नाले के समीप होते हुये अराई से सोल,कालेवाडा,मालपुरा जाने वाली पक्की सडक पर प्रार्थी अपने खेती के कार्य हेतु काम में अप्रार्थी संख्या 01 के आराजी खसरा संख्या 3003 व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की आराजी संख्या 3004 की पूर्वी सीमा से रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 की आराजी की पूर्वी दिशा में बरसाती नाला है एवं मेड होने के कारण उक्त नाले का रास्ते के रूप में उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

जा रहा है एवं कानूनी व प्राकृतिक रूप से भी बाधित होने से प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 लगायत आराजी की पूर्वी सीमा जो नजरी नक्शों में ए बी सी डी दर्शाया गया है उक्त रास्ता अरांई से गोचरवाडा मालपुरा जाने वाली पक्की रोड पर मिलान होता है। इस प्रकार प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करता आ रहा है, प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2999 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की कृषि भूमि की पूर्वी दिशा जो नाले के समीप है में से होकर रोड तक प्रार्थी पहुंच सकता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास मौजूद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ उक्त आने जाने के रास्ते के लिये विवाद उत्पन्न होने रहते हैं इस कारण से प्रार्थी माननीय न्यायालय में वैकल्पिक रास्ता घोषित करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के सेवा में पेश किया गया है। यह है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ट्रेस के अलावा नजरी नक्शा पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते को ए.बी.सी.डी से दर्शाया गया है जो कि प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है इसी प्रकार प्रार्थी माननीय न्यायालय से सुगम रास्ता प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की संशोधित धारा 251क में प्रावधित किया गया है तथा प्रार्थी का प्राविधिक अधिकार है। यह है कि प्रार्थी के समीप अर्थात कम दूरी व सुविधा जनक अन्य कोई रास्ता नहीं है केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3003 व 3004 की पूर्वी सीमा व नाले के समीप होकर प्रार्थी रोड तक आता जाता है। यह है कि प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 24.07.2014 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 2999 में बिजाई करने हेतु रोड से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी खसरा संख्या 3003 व 3004 की पूर्वी सीमा से नाले के समीप होकर अपनी कृषि भूमि में बिजाई करने गया तो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 ने प्रार्थी का विरोध किया। तब प्रार्थी द्वारा अरांई तहसील से जाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 03 द्वारा भी प्रार्थी संख्या 01 व 04 का पूरा पूरा समर्थन किया गया तथा प्रार्थी का अवरोध करने की कोशिश की जिसमें अप्रार्थीगण विफल रहे तब से प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थी की श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी का आराजी ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम में आने जाने, मवेशी लाने ले जाने, चारा व घास फूस ले जाने व कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3003, 3004 जिसके बंटवारे के विखण्डन खसरा संख्या 3004/1 व 3004/2 जो राजस्व ट्रेस में बंटवारे का अंकन नहीं होने से मूल खसरा 3004 ही कायम है उक्त खसरान 3003 व 3004 की पूर्वी दिशा नाले के समीप होकर सील, काकलवाडा, मालपुरा पक्की सडक तक संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए.बी.सी.डी, जो प्रार्थी द्वारा वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है इसी अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाने की कृपा करवावे एवं प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 04 को डी.एल.सी.रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को अदा करने के तत्पर एवं तैयार है। तथा माननीय न्यायालय के पारित आदेश की पालना के अप्रार्थी संख्या 05 को निर्देशित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 व 03 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.09.2015 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 09.06.2015 को तहसीलदार अरांई की रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 04 को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने के कारण दिनांक 13.11.2019 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में तहसीलदार अरांई द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु 20 फुट चौड़े रास्ते हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी 3012 से 2999 तक रास्ता दिया जाता है तो खसरा संख्या 3004 से 34 गठ्ठा लम्बाई होती है जिसका रकबा 00-05-00 बीघा बनता है तथा खसरा संख्या 3003 में लम्बाई 33 गठ्ठा लम्बाई होती है जिसका रकबा 00-05-00 बीघा बनता है कुल रकबा 00-10-00 बीघा बनता है जिसकी प्रस्तावित डी.एल.सी. दर सिंचित 721328 प्रति हैक्टैयर तथा असिंचित 339881 प्रति हैक्टैयर बनती है। दिनांक 08.04.2022 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे व काश्त की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम है। यह है कि प्रार्थी की आराजी पर जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है समीप में खसरा संख्या 3003 द्वारा जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 01 के आराजी के खसरा




उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

03 के पूर्वी सीमा एवं नाले से समीप होकर खसरा नम्बर 3004 जो अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 आराजी की पूर्वी सीमा एवं नाले के समीप होते हुये अरांई से सील,काकलवाडा,मालपुरा जाने वाली सडक पर प्रार्थी अपने खेती के कार्य हेतु काम में अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या 3003 प्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की आराजी खसरा संख्या 3004 की पूर्वी सीमा से रास्ते का उपयोग प्रयोग करते आ रहे हैं, श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी का आराजी ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम में आने जाने, मवेशी लाने ले जाने, चारा व घास फूस ले जाने व कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3003,3004 जिसके बंटवारे के विखण्डन खसरा संख्या 3004/1 व 3004/2 जो राजस्व ट्रेस में बंटवारे का अंकन नहीं होने से मूल खसरा 3004 ही कायम है उक्त खसरान 3003 व 3004 की पूर्वी दिशा नाले के समीप होकर सील,काकलवाडा,मालपुरा पक्की सडक तक संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी, जो प्रार्थी द्वारा वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है इसी अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाने की कृपा करवावें एवं प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 04 को डी.एल.सी.रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को अदा करने के तत्पर एवं तैयार है। तथा माननीय न्यायालय के पारित आदेश की पालना के अप्रार्थी संख्या 05 को निर्देशित किया जावे।

तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया "उपरोक्त रिपोर्ट व विवेचन के आधार पर प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित, जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन हेतु 15 फुट चौड़े रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3003 व 3004 में से अधिग्रहित रकबा 51 गठ्ठा भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर है जो कि प्रार्थी द्वारा संबन्धित खसरा नम्बरान के खातेदारान् को जरिये बैंक ड्राफ्ट देय होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की अधिग्रहित भूमि रकबा 51 गठ्ठा भूमि का मुआवजा राशि 29,430 /-रु .अक्षरे उनतीस हजार चार सौ तीस रु. संबन्धित खातेदारान् को जरिये बैंक ड्राफ्ट तैयार कर भुगतान हेतु जरिये रजिस्टर्ड पोस्टल प्रस्तुत करने के आदेश दिये जातें है। तहसीलदार अरांई को उनकी रिपोर्ट कमांक 2950 दिनांक 04.06.2015 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 3003 व 3004 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066-69) में से अधिग्रहित रकबा 51 गठ्ठा को भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शों में तरमीम करने हेतु आदेश दिये जातें हैं।"

तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के उक्त निर्णय के उपरान्त तहसीलदार अरांई को न्यायालय आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी की गई जिसके अनुक्रम में तहसीलदार अरांई द्वारा पालना रिपोर्ट मार्गदर्शन हेतु दिनांक 21.12.2022 को पुनः न्यायालय में पेश की गई। तहसीलदार अरांई द्वारा आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना हेतु मार्गदर्शन चाहा गया । प्रार्थी को उक्त निर्णय में त्रुटि की जानकारी तहसीलदार अरांई की पालना रिपोर्ट से प्राप्त होने पर प्रार्थी श्री घीसा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान के आदेश दिनांक 22.04.2022 के अन्तिम पैरा के अनुसार "उपरोक्त रिपोर्ट व विवेचन के आधार पर प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित, जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन हेतु 15 फुट चौड़े रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3003 व 3004 में से अधिग्रहित रकबा 51 गठ्ठा भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर है जो कि प्रार्थी द्वारा संबन्धित खसरा नम्बरान के खातेदारान् को जरिये बैंक ड्राफ्ट देय होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की अधिग्रहित भूमि रकबा 51 गठ्ठा भूमि का मुआवजा राशि 29,430 /-रु .अक्षरे उनतीस हजार चार सौ तीस रु. संबन्धित खातेदारान् को जरिये बैंक ड्राफ्ट तैयार कर भुगतान हेतु जरिये रजिस्टर्ड पोस्टल प्रस्तुत करने के आदेश दिये जातें है। तहसीलदार अरांई को उनकी रिपोर्ट कमांक 2950 दिनांक 04.06.2015 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्त कायम कर राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 3003 व 3004 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066-69) में से अधिग्रहित रकबा 51 गठ्ठा को भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज




उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

राजस्व नक्शों में तरमीम करने हेतु आदेश दिये जाते हैं।" न्यायालय के द्वारा प्रार्थी द्वारा अपनी जात तक पहुचने हेतु रास्ता के लिये 15 फीट रास्ते हेतु तहसीलदार अरांई को खसरा संख्या 3003 व 3004 में से 51 गठ्ठा भूमि अधिग्रहित करने के आदेश प्रदान किये थे किन्तु तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट क्रमांक 2950 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा तथा पालना रिपोर्ट क्रमांक 4235 दिनांक 16.12.2022 के द्वारा 15 फीट रास्ते हेतु खसरा संख्या 3003 व 3004 में से 67 गठ्ठा भूमि अधिग्रहित करने हेतु मार्गदर्शन चाहा है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहुचने हेतु खसरा संख्या 3003 व 3004 में से 67 गठ्ठा भूमि अधिग्रहित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। प्रार्थी उक्त भूमि की डी.एल.सी. रेट अनुसार भुगतान करने हेतु तत्पर है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये दिनांक 02.02.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित रहे। हमारे द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई, उपरोक्त रिपोर्ट व विवेचन के आधार पर न्यायालय आदेश दिनांक 22.04.2022 को संशोधित किया जाता है तथा पुनः आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई में स्थित, जिसके खसरा संख्या 2999 रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम में आवागमन हेतु 12 फुट (दो गठ्ठे) चौड़े रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3003 व 3004 वर्तमान खसरा संख्या 3867/3004, 3868/3004, 3003 में से क्रमशः 0.0024 हैक्टेयर, 0.0180 हैक्टेयर, 0.0198 हैक्टेयर कुल 0.0402 हैक्टेयर रकबा भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर के आधार पर मुआवजा राशि, प्रार्थी द्वारा संबन्धित खसरा नम्बरान के खातेदारान् को जरिये बैंक ड्राफ्ट भुगतान करने के पश्चात तहसीलदार अरांई उपरोक्त रास्ते की तरमीम करें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0402 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार 30449/- रुपये अक्षरे तीस हजार चार सौ उनचास की दुगुना राशि 60898 /- अक्षरे साठ हजार आठ सौ अठानवे रु. मात्र संबन्धित खातेदारान को जरिये बैंक ड्राफ्ट तैयार कर भुगतान हेतु प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पोस्टल प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अरांई को उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2950 दिनांक 04.06.2015 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्त कायम कर राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 3003 व 3004 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066-69) वर्तमान खसरा संख्या 3867/3004, 3868/3004, 3003 में से अधिग्रहित रकबा 0.0402 हैक्टेयर (12 फीट चौड़ाई) को भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शों में तरमीम करने हेतु आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अरांई उपरोक्तानुसार कार्यवाही करे।

संशोधित आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/2/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।




उपरोक्त अधिकारी
अंराई (अजमेर)